अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

सकारण आदेश

संवेदक मेसर्स दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी, जनता पथ, कंकड़बाग रोड, पटना–20 द्वारा रा०उ० पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना के अन्तर्गत (i) NH-103 के कि०मी० 1.9 से 14 में IRQP कार्य, वर्ष 2012–13 एवं (ii) NH-103 के कि०मी० 37 से 44 में IRQP कार्य, वर्ष 2012–13 की दिनांक–26.09.2012 को प्राप्त होने वाली निविदा में भाग लिया गया। उक्त निविदा में मेसर्स दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी द्वारा NBCCL (National Building Construction Corporation Ltd.) का जाली अनुभव प्रमाण–पत्र देकर निविदा प्राप्त करने का प्रयास किया गया। जाली प्रमाण–पत्र देने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के संगत धाराओं के अन्तर्गत संवेदक के मामले से संबंधित संगत साक्ष्यों (यथा आर०एन० पॉल, उप महाप्रबंधक, NBCCL के तथकथित हस्ताक्षर से निर्गत जाली प्रमाण–पत्र दिनांक–23.12.2009 एवं अपर महाप्रबंधक NBCCL का सत्यापन प्रमाण–पत्र पत्रांक–476, दिनांक–19.10.2012) को संलग्न करते हुए संवेदक मेसर्स दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी से विभागीय ज्ञापांक–7960 (ई०) अनु०, दिनांक–06.12.2012 द्वारा कारणपृच्छा की गई। मेसर्स दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी द्वारा दिनांक–26.12.2012 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कारणपृच्छा के बिन्दुओं पर कोई उत्तर नहीं देकर वैसे कागजातें की मांग की गयी जो कारणपृच्छा के उत्तर के लिए आवश्यक नहीं था। मेसर्स सिन्हा के द्वारा निविदा के साथ संलग्न NBCCL के उप–महाप्रबंधक श्री आर०एन० पॉल द्वारा दिनांक–23.12.2009 का हस्ताक्षरित पत्र वास्तव में जाली है या नहीं इस बिन्दु पर मौन रहना उनकी सहमति प्रमाणित करता है।

फलस्वरूप फर्जी कागजातों के आधार पर निविदा प्राप्त करने का प्रयास, यथेष्ट कागजातों के आधार पर प्रमाणित होने एवं संवेदक द्वारा उक्त साक्ष्य कागजातों का खण्डन भी नहीं करना तथा जाली प्रमाण–पत्र संलग्न कर निविदा प्राप्त करने का असफल प्रयास प्रमाणित होता है। फलस्वरूप विभागीय आदेश ज्ञापांक–1033(ई०), दिनाक–19.02.2013 के द्वारा संवेदक के निबंधन संख्या– अ०प्र०/श्रेणी–1–113/2007 पथ को कालीसूची में डाला गया।

2. संवेदक/वादी द्वारा उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-4888/2013 दायर की गयी, जिसमें दिनाक–12.03.2013 को मान्नीय उच्च

न्यायालय, पटना द्वारा एक अन्य वाद CWJC No.276/2013 को संलग्न करते हुए न्यायादेश पारित की गई। पारित न्यायादेश का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

" For the aforesaid reasons, both the writ applications are dismissed. However, So far as the blacklisting order dt. 19.02.2013 is concerned, the matter is remanded to the Engineer-in-Chief, Road Construction Department, Government of Bihar for the limited purpose of passing the order as to the time period for which the petition would remain blacklisted.

Let the said order be passed within a period of four weeks from the date of receipt/production of a copy of this order along with the representation at the petitioner. It is made clear that it would be open to the petitioner to file an appeal against the said order before the Principal Secretary, Road Construction Department only to the extent that it relates to the time period that may be fixed by the Engineer-in-Chief with respect to the blacklisting order".

3. पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी द्वारा अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, पटना को दिनांक–15.04.2013 को आवेदन समर्पित किया गया जिसमें कालीकरण आदेश पर पुर्नविचार करने तथा समय सीमा निर्धारित करने का अनुरोध किया गया। विभागीय पत्र संख्या–4104(ई0) दिनांक 28.10.2009 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंड़िका 11(क) में उपबंधित कदाचारों के लिए दंड का स्वरूप निर्धारित होने के कारण संवेदक मेसर्स दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11(क) के उपकंडिका–(vii) के उपबंधित कदाचार के लिए कालीसूची में डाला गया था। बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अन्तर्गत कालीकरण की समय–सीमा के निर्धारित नहीं किया जा सकता है इस आशय के आदेश के साथ सकारण आदेश विभागीय ज्ञापांक–2556(ई0) दिनांक 26.04.2013 द्वारा अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव द्वारा निर्गत किया गया।

4. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव द्वारा उक्त पारित आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा अपीलीय प्राधिकार तत्कालीन सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना के समक्ष दिनांक–20.05.2013 को अपील अभ्यावेदन समिर्पित किया गया। अपील अभ्यावेदन पर तत्कालीन सचिव महोदय द्वारा सुनवाई की गई और आदेश पारित की गई। तत्कालीन सचिव महोदय द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित है कि वादी द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में कही भी अंकित नहीं किया गया कि जिस आधार पर उनके निबंधन को कालीकृत किया गया है वह गलत है। वादी के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग के अधीन जॉब संख्या–0103–BR-2012-841 एवं 0103-BR-2012-842 के निविदा में False एवं Fabricated कागजात के Upload किया गया था। इस कृत्य के

blacklisting forever can be passed in as much as the blacklisting has an effect of robbing the bread and butter as well as livelihood of the contractor.

In that view of the matter, this court would find it difficult to sustain to the impugned order passed by the Engineer-in-chief and its affirmance in appeal by the Secretary, Road Construction Department, as contained in Annexure 7 and 10 and they are, accordingly, quashed.

The matter is once again remitted back to the Engineer-in-chief, Road Construction Department, Government of Bihar, Patna, who shall now apply his mind to the facts of the case and pass an order after considering all aspects of the matter including the observation made above in this order as well as the earlier observation made in the order dt. 12.03.2013 in CWJC No-4888 of 2013.

With the aforesaid observation and direction, this writ application is disposed of."

7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायादेश में M/s Kulja Industries Limited Case के कालीकरण मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का उल्लेख किया गया है। न्यायालय का आदेश है कि कालीकरण सर्वदा के लिए नहीं होना चाहिए। संवेदक द्वारा किये गये कदाचार के आधार पर दंड का वर्गीकरण कर कालीकरण की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए।

8. मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा M/s Kulja Industries Limited Case के मामले में पारित न्यायादेश के observation के पश्चात विभागीय कार्यालय आदेश सं०–154, सहपठित ज्ञापांक–5403 (एस), दि०–18.06.2015 द्वारा संवेदक द्वारा किये गये अलग–अलग कदाचार के लिए कालीकरण की अलग–अलग अवधि निर्धारित की जा चुकी है।

9. माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में संवेदक द्वारा किये गये कदाचार की पुर्नसमीक्षा की गयी। समीक्षा में सभी तथ्यों पर विचार किया गया। मेसर्स दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी द्वारा दिनांक–26.12.2012 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कारणपृच्छा के बिन्दुओं पर कोई उत्तर नहीं देकर वैसे कागजातें की मांग की गयी जो कारणपृच्छा के उत्तर के लिए आवश्यक नहीं था। मेसर्स सिन्हा के द्वारा निविदा के साथ संलग्न NBCCL के उप–महाप्रबंधक श्री आर०एन० पॉल द्वारा दिनांक–23.12.2009 का हस्ताक्षरित पत्र वास्तव में जाली है या नहीं इस बिन्दु पर मौन रहना उनकी सहमति प्रमाणित करता है। फलस्वरूप फर्जी कागजातों के आधार पर निविदा प्राप्त करने का प्रयास, यथेष्ट कागजातों के आधार पर प्रमाणित होने एवं संवेदक द्वारा उक्त साक्ष्य कागजातों का खण्डन भी नहीं करना तथा जाली प्रमाण–पत्र संलग्न कर